Appendix-1A

CERTIFICATE OF REGISTRATION UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860 (PUNJAB AMENDMENT) ACT 1957 AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF

D E L H I.

No. S.2884 of 1965 -1966 .

I hereby certify that *CENTRAL SCHOOLS ORGANIZATION*

has this day been registered under the Societies Registration Act XXI of 1860 (Punjab Amendment) Act 1957, as extended to the Union Territory of Delhi.

Given under my hand at DELHI

this 15th day of DECEMBER

One thousand nine hundred and SIXTY FIVE.

Fee Rs. 50.00 paid.

DHINGRA

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

(SURENDER KISHORE)
REGISTRAR OF SOCIETIES
D E L H I.

No.S/2884/167.

Dated 15-12-1965

From
The Registrar of Societies,
Old Secretriat,
Delhi.

To
Shri S.N. Dutt, Under Secy.,
Central School Units,
Room No.36, N-Block,
Ministry of Education, N.Delhi

Reg: * CENTRAL SCHOOLS ORGANIZATION *.

Dear Sir,

I am enclosing herewith the certificate of registration of your society named above. Please acknowledge receipt.

Acknowledged.
13/12

Yours faithfully,

(SURENDER KISHORE)
REGISTRAR OF SOCIETIES,
DELHI.

Encl: One Certificate.

DHINGRA

DC – 0761-2678381(O)/ 2624580 (R)
AC/AO/FO – 2678390
Fax – 0761-2678369

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
जबलपुर सम्भाग : जी०सी०एफ० इस्टेट , साईंस कॉलेज के पीछे, जबलपुर - ४८२ ०११ (म०प्र०)
Jabalpur Region :: GCF Estate, Behind Science College,Jabalpur – 482 011(MP)
(URL: www.kvsrojabalpur.org :: e-Mail: acjabalpur@gmail.com

No. F. 22033/2020-21/ शैक्षिक/ 22600 – 649 Dt: 08-03-2021

E-MAIL

प्राचार्यवृन्द
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
जबलपुर संभाग,जबलपुर

Sub: - सत्र 2021–22 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रैन्थ(कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

Ref: - केविसं मुख्यालय नई दिल्ली का स्वीकृति पत्र क्र0 110333/2021-22/केविसं मुख्यालय शैक्षिक जबलपुर / 7398 Dt. 05-03-2021.

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विचारोपरान्त केविसं मुख्यालय नई दिल्ली का स्वीकृति पत्र क्र0 **110333/2021-22-** केविसं मुख्यालय शैक्षिक जबलपुर **/ 7398** दिनांक **05-03-2021** द्वारा निम्नानुसार विद्यालयों के सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2021–22 से प्रदान की जाती है।

S. No.	Name of KV	Increase (Sanction)/ Decrease in Classes/ Sections approved for the session 2021-22 BY THE KVS (HQ)
1	ANUPPUR	SANCTIONED ONE SECTION IN CLASS –VII.
2	DINDORI	SANCTIONED 2ND SECTION IN CLASS-II, III, IV & V.
3	HATTA	SANCTIONED ONE SECTION IN CLASS –IX.
4	JAMAI	SANCTIONED ONE SECTION IN CLASS –X.
5	KATNI NO.2(RAILWAY-NKJ)	SANCTIONED ONE SECTION IN CLASS –XII (HUMANITIES).
6	LAKHNADON	SANCTIONED ONE SECTION IN CLASS –VIII.
7	PANDHURNA	SANCTIONED 2ND SECTION IN EACH CLASS- I, II, III, IV, V AND ONE SECTION IN CLASS –X.
8	SATNA NO.2	SANCTIONED 2ND SECTION IN CLASS-II, III, IV, V AND ONE SECTION IN CLASS XII(SCI).
9	AMARKANTAK	NO CHANGE
10	NO.4 SAGAR (DHSGVV, CAMPUS SAGAR)	SANCTIONED 2ND SECTION IN CLASS IV AND ONE SECTION IN CLASS VIII.
11	CHHINDWARA NO.2	SANCTIONED 2ND SECTION IN EACH CLASS- I, II, III, IV & V.
12	CHAURAI	SANCTIONED 2ND SECTION IN EACH CLASS- I, II, III, IV, V AND ONE SECTION IN CLASS XI (SCI).
13	MALANJKHAND	SANCTIONED ONE SECTION IN CLASS XI (COMM).
14	VEHICLE FACTORY, JABALPUR (2ND SHIFT)	NO CHANGE.

अन्य केन्द्रीय विद्यालयों के सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सभी विद्यालयों के पदवार एवं विषयवार स्वीकृति ,केविसं (मुख्यालय) नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त होने पर सभी विद्यालयों को प्रोफार्मा बी में जारी की जाऐगी ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ताजुद्दीन शेक)
उपायुक्त

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक / 38 / अ–19(3) / 2012–13
मौजा ग्राम पलटवाडा ब0नं0 160 प0ह0नं0 36
तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा।

1–केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
मुख्यालय नईदिल्ली
(भारत सरकार)
द्वारा–प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय,
चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा
विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन

संशोधित आदेश
(पारित दिनांक 3 अगस्त, 2013)

प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय चौरई, जिला छिन्दवाडा ने अपने पत्र क्रमांक–35 / के.वि.क.चौरई / 2013–14 / 42–43 दिनांक 26.7.2013 द्वारा लेख्य किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार ग्राम पलटवाडा, ब0नं0–160 प0ह0नं0–36, तहसील चौरई, छिन्दवाडा स्थित शासकीय भूमि उप–आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर (म0प्र0) द्वारा प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा के नाम आबंटित की गई है ।

प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय चौरई, जिला छिन्दवाडा द्वारा उक्त आवेदन में लेख किया गया है कि विद्यालय में सभी पत्राचार एवं सम्पत्ति प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय के नाम पर होती है । अतः खसरा क्रमांक 4/3 एवं खाते अनुक्रमांक 303 को उप–आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर (म0प्र0) द्वारा प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा को संशोधित कर प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा (म0प्र0) करने का अनुरोध किया गया है ।

प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा के अनुरोध पर इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक–38 / अ–19(3) / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13.3.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए "उप–आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर (म0प्र0) द्वारा प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय, चौरई, तहसील तहसील चौरई जिला छिन्दवाडा" को विलोपित कर " केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नईदिल्ली (भारत सरकार) द्वारा–प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, चौरई तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा (म0प्र0)" किया जाता है । संशोधित आदेश मूल आदेश दिनांक 13.3.2013 का अंग माना जावेगा ।

(महेशचन्द्र चौधरी)
कलेक्टर,
छिन्दवाड़ा।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

कार्यालय सहायक अभियंता जबलपुर केन्द्रीय उपमंडल–1, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया, कालोनी, टाईप–III/78 जबलपुर (म.प्र.) पिन: 482002	OFFICEOFTHE ASSITANT ENGINEER JABALPUR CENTRAL SUBDIVISION-1 CENTRALPUBLIC WORKS DEPARTMENT, SURVEYOFINDIACOLONY, TYPE- III / 78 JABALPUR (M. P.), PIN: 482002

Email ID :- aejcsd_jabalpur@yahoo.co.in /Phone No.:-0761-2642263

पत्र क 23(18)/जकेउमं–1/2020/580 दिनांक:– 31.12.2020

प्रति,

प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय,
चौरई, छिंदवाड़ा।

विशय :– केन्द्रीय विद्यालय , चौरई, छिंदवाड़ा के भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र बाबत्।
C/o "A " Type School Building and 09 Nos. staff quarters, (02Nos. Type II, 06 Nos Type III, and 01 Nos. Type V, including Boundary wall and Internal Water Supply, Sanitary Installations, Drainage, Internal Path and Electrical Installation for Kendriya Vidyalaya Chourai (M.P.)

Ref. :- 23(18)/JCSD-1/2020/563 , dt. 21.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विशय एंव आपसे चर्चा के संबंध में सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय चौरई स्कूल एंव आवासीय परिसर में बने नव निर्मित भवन का निर्माण वर्ष 2020 में पूर्ण किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय एंव आवासीय भवन संरचनात्मक रूप से सुदृढ स्थिति में है तथा संचालन हेतू संरचनात्मक सुरक्षा कि दृष्टि से उपयुक्त है।

31.12.2020
सहायक अभियंता
जबलपुरकेन्द्रीय उपमंडल.1
केन्द्रीय लोकनिर्माणविभाग
जबलपुर(म.प्र.)

प्रतिलिपि :–1. कार्यपालक अभियंता, जबलपुर केन्द्रीय मंडल, केलोनिवि, जबलपुर ।
2. सहायक अभियंता, छिन्दवाड़ा केन्द्रीय उपमंडल, के.लो.नि.वि., छिंदवाड़ा।
3. श्री अमन पटेल, कनिश्ठ अभियंता, केलोनिवि, छिंदवाड़ा ।

सहायक अभियंता

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय चौरई, जिला - छिन्दवाड़ा के नवीन भवन में अग्नि से सुरक्षा हेतु पर्याप्त नए अग्निशामक यंत्र लगवाये गए हैं एवं अग्निशामक यंत्र पूर्णतः भरे हुए है जो विद्यालय सुरक्षा हेतु उपयुक्त है।

निरिक्षण दिनांक: 13/05/2021

कार्यालय नगर पालिका परिषद (म.प्र.) चौरई, जिला-छिंदवाड़ा

अधिकारी का नाम: आशिका शेख

पद: उपयंत्री

सील: SUB ENGINEER
Nagar Palika Parisad Chourai
Disst.-Chhindwara(M.P.)